दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे South East Central Railway

कार्मिक विभाग, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर

Personnel Department, Divisional Railway Manager Office, Bilaspur

No.P/BSP/Rectt/CEN/RRC-01-2019/E-96525

Date: -22-03-2023

SWAMI VASU DEWANAND KRISHNA GUPTA S/O, D/O GOPI KRISHNA GUPTA, HOUSE

NUMBER 252 SHANKAR CHOWK MAHAMAYA WARD 11, RAHOD NAGAR,, Janjgir-

Champa, CHHATTISGARH, 495556, Mo-9179573357

विषय:-सातवीं वेतनमान लेवल-1, पे मट्रिक्स में पॉइंट्समैन के रूप में नियुक्ति का अस्थायी/अनंतिम प्रस्ताव। Sub:Temporary / Provisional Offer of Appointment as <u>POINTSMAN</u> in Level-1,VII CPC. संदर्भ:-अध्यक्ष,बिलासपुर/आरआरसी पत्र क्र. P-HQ/RCT/RRC-Level-1 Posts/513 दिनांक- 18.03.2023

<<<<>>>>

मैं आपको अस्थायी रोजगार देने के लिए तैयार हूं-: विवरण निम्न लिखित है | I am prepared to offer you temporary employment Details are as under:

वेतन मैट्रिक्स स्तर Pay Matrix Level : (स्तर-1)7 वां सीपीसी(LEVEL-1 (7THCPC)

पद Post of : <u>POINTSMAN</u> विभाग Department : <u>OPERATING</u>

- यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि यह अस्थायी नियुक्ति किसी भी समय 30 दिनों के नोटिस पर किसी भी समय समाप्त की जा सकती है, सिवाय इसके कि आपकी सेवा की समाप्ति के लिए ऐसे किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं है | यदि अनुपस्थित व्यक्ति के ड्यूटी पर लौटने के कारण जिसके स्थान पर आपको नियुक्त किया जा सकता है या पद की अवधि समाप्त होने के कारण या भारत के संविधान के अनुच्छेद(2) के खंड 3112 प्रावधानों के बाद अनुशासनात्मक उपाय के रूप में हटाने या बर्खास्तगी के कारण या आपको सौंपे गए कर्तव्यों को अनुपालन के करने के लिए आपकी शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण आपकी सेवा समाप्ति के लिए किसी भी नोटिसकी आवश्यकता नहीं होगी। It must be clearly understood that this temporary appointment is terminable at any time on 30 days notice on either side except that no such notice is required for the termination of your service if due to return on duty of the absentee in whose place you may be engaged or due to expiry of the currency of the post or due to removal or dismissal as a disciplinary measure after compliance with provisions of clause (2) of Article 311 of the constitution of India or due to your physical or mental incapacity to perform the duties assigned to you
- 2 आप ऐसी अस्थायी सेवा के दौरान समयसमय पर लागू नियम के तहत अस्थायी रोजगार के लिए किसी पेंशन या किसी अन्य भत्ते के लिए पात्र नहीं होंगे। You will not be eligible for any pension or any other allowance beyond those admissible to temporary employment under the rule in force from time to time during such temporary service.

3 नियुक्ति के इस प्रस्ताव के अंत में बताए गए फॉर्म में आपको निष्ठा की शपथ लेनी होगी या प्रतिज्ञान करना होगा।
You are required to take an oath of allegiance or make an affirmation in the form indicated at the end of this offer of Appointment.

- 4. आपको अपनी नियुक्ति पर लागू सभी नियमों और विनियमों की पुष्टि करनी होगी | आपकी नियुक्ति आयु, शैक्षिक योग्यता, जाति और अन्य पात्रता मानदंड के समर्थन में प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन होगी |You will have to confirm to all rules and regulations applicable to your appointment. Your appointment will be subject to verification of certificate in support of age, educational qualification, caste and other eligibility criteria
- 5 आपको दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के किसी भी स्टेशन पर अनंतिम नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। You must be prepared to accept the offer of provisional appointment at any station on South East Central Railway.
- 6 आपको दो राजपत्रित अधिकारियों से संलग्न फॉर्म में 10 पीपी आकार के हाल के रंगीन फोटो और चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे जो किसी वजीफा मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत सत्यापित हों। You will be required to produce 10 PP size recent colour photos & Character Certificate in the form enclosed from two Gazetted Officers duly attested by a stipendiary Magistrate.